पत्रांकः—भवन/बजट—73—योजना (ग्रामीण विकास विभाग)—01/2015—16......... 2046 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः— 27/2/26

विषयः— ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में कुल **₹ 29,46,915/— (उनतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओ, संबंधित भवन प्रमंडल से प्राप्त अधियाचना के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 29,46,915/— (उनतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रदान की जाती हैः—

क्र.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना का पत्रांक/ दिनांक	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वर्ष 2025—26 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजार बाग	635/ 10.02.26	प्रखण्ड—सह—अंचल कार्यालय भवन पंडारक के निर्माण कार्य (प्रस्तावित स्थल से बिजली का हाईटेंशन तार हटाने हेतु)	3556556/ 10.01.2025	13,73,984/— (तेरह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चौरासी रूपये)
2	भवन प्रमंडल, किशनगंज	195अनु0/ 05.02.26	किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड—सह—अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य (कार्यस्थल पर अवस्थित पेड़ो के पातन/पुनस्थापन हेतु)	3556556/ 10.01.2025	1,03,161/— (एक लाख तीन हजार एक सौ इकसठ रूपये)
3	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	256अनु0/ 12.02.26	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड—सह—अंचल कार्यालय सुगौली का भवन निर्माण कार्य (प्रस्तावित भुमी से विद्युत पोल विस्थापन हेतु)	3556556/ 10.01.2025	10,40,267/— (दस लाख चालीस हजार दो सौ सड़सठ रूपये)
4	भवन प्रमंडल, सिवान	373अनु0/ 16.02.26	प्रखण्ड—सह—अंचल कार्यालय महाराजगंज एवं भगवानपुर के भवन निर्माण कार्य (कार्यस्थल पर अवस्थित पेड़ो के पातन/पुनस्थापन हेतु)	3556556/ 10.01.2025	4,29,503/— (चार लाख उनतीस हजार पॉच सौ तीन रूपये)
			कुल		**29,46,915/—**

(उनतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या—03 के मुख्यशीर्ष—4059—लोक निर्माण कार्य पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष—01—कार्यालय भवन, लघुशीर्ष—051—निर्माण, उपशीर्ष—0117 प्रखण्ड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) **विपत्र कोड—03.4059010510117** के विषय शीर्ष—53—मुख्य निर्माण कार्य —0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025—26 में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।